मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 31, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2006 के अनुपालन पुनर्विलोकन रिपोर्ट मई, 2009; तथा

(ख) वित्तीय वर्ष 2008-2009 की द्वितीय छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री ज्ञान सिंह, सदस्य, उमरिया जिले के ग्राम पंचायत बांका में इंदिरा आवास योजना की राशि हितग्राहियों को न दिये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य, शिवपुरी जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की भर्ती में अनियमितता होने की ओर राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री राव देशराज सिंह यादव, सदस्य, अशोक नगर जिले के सागर ग्राम निवासी एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. प्रभुराम चौधरी, श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में प्रमाणित बीज एवं रासायनिक खाद की कमी होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री जयसिंह मरावी, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है."

-2-

निर्धारित समय		5. वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ....(क्रमशः)	
1 घन्टा	(1)	मांग संख्या - 37	पर्यटन
		मांग संख्या - 43	खेल और युवक कल्याण.
2 घन्टे	(2)	मांग संख्या - 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
		मांग संख्या - 9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या - 18	श्रम
		मांग संख्या - 35	पुनर्वास
		मांग संख्या - 58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.
1 घन्टा	(3)	मांग संख्या - 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.
1 घन्टा	(4)	मांग संख्या - 34	समाज कल्याण
		मांग संख्या - 55	महिला एवं बाल विकास.
1 घन्टा 30 मि.	(5)	मांग संख्या - 10	वन
		मांग संख्या - 25	खनिज साधन
		मांग संख्या - 29	विधि और विधायी कार्य
		मांग संख्या - 71	जैव विविधता (बायो डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो टेक्नालॉजी).

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2009 (क्रमांक 13 सन् 2009) का पुरःस्थापन करेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 21 जुलाई, 2009

*** मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**